

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान्जी मुताबिक वर्तमान जमाबंदी (2019) से ख्याती के अनुसार
 हरिलाल पुत्र किशना हि. 2/9 विरासत से ~~नामा~~ नामा: स. 533 दि. 12/09/22
 एवं हरिलाल पुत्र किशना हि. 1/3 खेचान नामा: स. 531 दि. 01/06/22 का पत्र है।
 अतः हरिलाल पुत्र किशना की दोनो प्रविष्टियों को भिलाकर हि. 5/9 किया जाना
 उचित होगा।

9
 P.T. D. 30/07/25
 19/07/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमान्जी मुताबिक पटवारी दुरुस्ती रिपोर्ट व किशना के अनुसार
 हरिलाल पुत्र किशना 5/9 दर्ज किया जाना उचित है।
 19/07/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू. क. निरी. अनुसार यथाप्रस्तावित।
 शिविर प्रभाषी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 454

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 25/09/2025

क्रमांक/163

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम इन्द्राजिया तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 331/315 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	हरिलाल पुत्र किशना हि. 2/9 जाति रेगट सा. देह खातेदार	298 305	0.1000 0.2000	हरिलाल पुत्र किशना हि. 5/9 शेष जदस्तूर	298 305	0.1000 0.2000
	हरिलाल पुत्र किशना हि. 1/3 जाति रेगट सा. देह खातेदार शेष जदस्तूर					

क्रमांक:- 4979-80

दिनांक:- 25/09/2025

प्रतिलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को प्रभाषी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 चालुपथी नसीराबाद, जिला अजमेर
 2. आदेश पत्रसली।

